



वर्ष 2023 में सबसे कम CAG अंकेक्षण

प्रलिस के लयः

[नयऱरक-महालेखापरीकषक](#) की नयुक्त और नषिकासन, CAG से संबधतऱ संवैधानकऱ प्रारवधान

मेन्स के लयः

भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में अंकेक्षण की भूमिका, CAG के कर्तव्य

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यों?

कैलेंडर वर्ष 2023 में [नयऱरक-महालेखापरीकषक \(CAG\)](#) द्वारा तैयार केंद्र सरकार के लेखांकन पर केवल 18 अंकेक्षण रपिर्ट संसद में प्रस्तुत की गईं। वर्ष-वार वशिलेण से पता चलता है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत कयऱ जाने वाले अंकेक्षण की संख्या कम हो रही है।

- वर्ष 2019 तथा 2023 के बीच प्रत्येक वर्ष औसतन 22 रपिर्टें प्रस्तुत की गईं जबकि वर्ष 2014 एवं 2018 के बीच 40 रपिर्टें पेश की गईं।

CAG का कार्यालय क्या है?

- परचयः**
 - भारत का नयऱरक एवं महालेखापरीकषक (Comptroller and Auditor General of India), एक संवैधानकऱ प्रारधकिरण है जो भारतीय लेखापरीकषा और लेखा वभिग (Indian Audit and Accounts Department- IA&AD) का प्रमुख होता है। दोनों संस्थाओं को सर्वोच्च लेखा परीकषा संस्थान भारत (Supreme Audit Institution of India- SAI) के रूप में जाना जाता है।
- जनादेशः**
 - "जनता के धन के संरक्षक" के रूप में CAG को केंद्र तथा राज्य सरकारों सहित उन संगठनों अथवा नकऱयों के सभी व्यय का नरीकषण तथा अंकेक्षण करने की ज़मिमेदारी सौंपी गई है, जनिहें सरकार वशेष तौर पर वतितपोषति करती है।
 - यही कारण है कि डॉ.बी.आर.अंबेडकर ने कहा कि CAG भारत के संवधान के तहत सबसे महत्त्वपूर्ण अधकिारी होता है।
- संवैधानकऱ प्रारवधानः**
 - अनुच्छेद 148 CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रारवधान करता है।
 - CAG से संबधतऱ अन्य प्रारवधानों में अनुच्छेद 149-151 (कर्तव्य और शक्तयऱँ, संघ व राज्यों के खातों का स्वरूप तथा अंकेक्षण रपिर्ट), अनुच्छेद 279 (नविल आय का परकिलन इत्यादी) तथा तीसरी अनुसूची (शपथ अथवा प्रतजिज्ञान) एवं छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रपुरा व मज़ोरम राज्यों में जनजातीय कषेत्रों का प्रशासन) शामिल हैं।
- नयुक्तऱः** CAG की नयुक्तऱ [भारत के राष्ट्रपतऱ](#) द्वारा उनके हस्ताक्षर तथा मुहर के तहत एक वारंट द्वारा की जाती है।
 - उसे कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा संवधान में उल्लिखितऱ प्रक्रयऱ के अनुसार ही राष्ट्रपतऱ द्वारा हटाया जा सकता है।
- कार्यकालः** 6 वर्ष की अवधऱ या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
- नषिकासनः** CAG को कार्यालय से हटाने के लयऱ एक वशिषिट प्रक्रयऱः संसद के प्रत्येक सदन से अभभिषण प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपतऱ का एक आदेश, की आवश्यकता होती है।
 - नषिकासन को प्रभावी बनाने के लयऱ अभभिषण को उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उसी सत्र में उपस्थति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तहिाई बहुमत द्वारा समर्थति होना चाहयऱ।
 - नषिकासन के आधारों में सदिध दुरव्यवहार या अक्षमता शामिल है।
- स्वतंत्रता के प्रारवधानः** प्रमुख प्रारवधानों में शामिल हैं-
 - CAG का वेतन और खर्च भारत की संचति नधि पर भारति होता है।
 - CAG को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है और वह राष्ट्रपतऱ की इच्छा तक पद पर नहीं रह सकता है, हालाँकि उसकी नयुक्तऱ

राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।

- कार्यालय छोड़ने पर **CAG** को कार्यालय की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखते हुए, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के भीतर किसी भी अनुवर्ती पद को धारण करने से रोक दिया जाता है।

भारत जैसे लोकतंत्र में अंकेक्षण की क्या भूमिका है?

■ पारदर्शिता और दायित्व:

- सार्वजनिक विश्वास:** अंकेक्षण जनता में विश्वास उत्पन्न करता है कि किरदाताओं के पैसे का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- दायित्व:** वे सरकारी निकायों और अधिकारियों को उनके वित्तीय नरिणों एवं कार्यों के लिये जवाबदेह ठहराते हैं, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग या गलत आवंटन को रोकते हैं।

■ वित्तीय कुप्रबंधन को रोकना:

- तुरुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना:** अंकेक्षण तुरुटियों, वसिंगतियों या संभावित धोखाधड़ी गतविधियों को उजागर करने में सहायता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जाए।
- बजट अनुपालन:** वे सत्यापित करते हैं कि क्या वित्तीय गतविधियाँ बजटीय आवंटन के साथ संरेखित हैं, जिससे अधिक खर्च या अनधिकृत व्यय को रोका जा सके।

■ दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार:

- अक्षमताओं की पहचान करना:** अंकेक्षण प्रक्रियाओं में अक्षमताओं को उजागर करता है, जिससे सुधार और लागत-बचत उपायों की अनुमति मिलती है।
- प्रदर्शन मूल्यांकन:** ये सरकारी कार्यक्रमों और पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करते हैं तथा बेहतर परिणामों के लिये भविष्य के नीतित्ति नरिणों का मार्गदर्शन करते हैं।
- नरिण लेने की क्षमता को बढ़ाना:** ऑडिट रिपोर्ट नीतित्ति निर्माताओं हेतु मूल्यवान अंतरदृष्टि प्रदान करती है, बेहतर प्रशासन के लिये सूचित नरिण लेने में सहायता करती है।

- वैश्विक मानक और सहयोग:** वैश्विक मानकों को पूरा करने वाले अंकेक्षण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समुदायों में देश की स्थिति में सुधार करते हैं, सहयोग और साझेदारी को सुवधाजनक बनाते हैं।

नोट: भारत का संविधान CAG को नरिणत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों के रूप में देखता है। हालाँकि व्यवहार में CAG मुख्य रूप से केवल महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, न कि नरिणत्रक के रूप में। दूसरे शब्दों में CAG का फंड संवत्तिरण पर नरिणत्रण नहीं है। व्यय होने के बाद इसे केवल ऑडिट चरण के दौरान ही शामिल किया जाता है।

आगे की राह

■ ऑडिट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:

- कुशल कार्यप्रवाह:** समय पर और व्यापक रिपोर्टिंग की सुवधा के लिये सरकारी विभागों के भीतर सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को लागू करना, तेज़ी से ऑडिट पूरा करने में सहायता करना।
- डिजिटल परिवर्तन:** ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और उनमें तेज़ी लाने, मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने तथा रिपोर्ट नरिमाण में तेज़ी लाने के लिये तकनीकी प्रगति को अपनाएँ।

■ पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना:

- समय पर रिपोर्टिंग:** संसद में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये स्पष्ट समयसीमा और प्रोटोकॉल नरिधारित करना, समय पर प्रस्तुत एवं चर्चा सुनिश्चित करना।
- उन्नत सार्वजनिक पहुँच:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करना, अधिक सार्वजनिक जाँच और समझ को बढ़ावा देना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. लोक नधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नरिणत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व क्या है?

- CAG संसद की ओर से राजकोष पर नरिणत्रण रहता है जब भारत का राष्ट्रीय आपात/वित्तीय आपात घोषित करता है।
- CAG की मंत्रलयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किये गए प्रतविदनों पर लेखा समतिविचार-वमिर्श करती है।
- CAG के प्रतविदनों से मली जानकारियों के आधार पर जाँचकर्ता एजेंसियाँ उन लोगों के वरिद्ध आरोप दाखल कर सकती हैं जिन्होंने-लोक नधि प्रबन्धन में कानून का उल्लंघन किया हो।
- CAG को ऐसी मशरित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कम्पनियों के लेखा-परीक्षा और लेखा जाँचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर

अभययोग लगा सके ।

उपयुक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1, 3 और 4
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: C

??????:

प्रश्न. "नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) को एक अत्यावश्यक भूमिका नभानी होती है ।"व्याख्या कीजिये कयिह कसि प्रकार उसकी नयिक्ता की वधि और शर्तों के साथ ही साथ उन अधिकारों का वसितार से परलिक्षति होती है ,जनिका प्रयोग वह कर सकता है । (2018)

प्रश्न. संघ और राज्यों के लेखांकन के संबंध में नयित्तरक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संवधान के अनुच्छेद 149 से वयुत्त्पन है । चर्चा कीजिये कक्या सरकार की नीतिका रयान्वयन का लेखा परीक्षण करना अपने स्वयं (नयित्तरक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारता का अतकिरण करना होगा या नहीं । (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/2023-records-lowest-number-of-cag-audits>

